

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(6)नविवि/जावाल/2022

जयपुर दिनांक: 30/03/2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने जावाल, (जिला-सिरोही) के नगरीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित होंगे, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष-2041 तक के लिए तैयार करने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को एतद्वारा नियुक्त करती है:-

क्र. सं.	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	तहसील
1.	ऊड.	UD	सिरोही
2.	मंदवारा (आंशिक)	MANDWARA (PARTIAL)	सिरोही
3.	जावाल	JAWAL	सिरोही
4.	बरलूट	BARLOOT	सिरोही

राज्यपाल की आज्ञा से


30/3/2022
(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. जिला कलक्टर, सिरोही।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जावाल (जिला-सिरोही)।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रालवी।

11
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय